

पत्रांक-14 / ए०एफ०-१६ / २०१९

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक..... / / 2023

विषय:- एन०जी०ए० डिग्री कॉलेज, भेलाही,, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो के विभिन्न विषयो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक सत्र 2023-26 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक-B / 120 दिनांक-13.01.2023 के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम 1098 दिनांक-19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा एन०जी०ए० डिग्री कॉलेज, भेलाही,, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो के विभिन्न विषयो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक सत्र 2023-26 के लिए अस्थायी संबंधन की अनुमति प्रदान की गयी है।

	संकाय	विषय
01	कला (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, ऊर्दू, फारसी, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, गृह-विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, संगीत, लोक प्रशासन, गणित तथा श्रम एवं समाज कल्याण (कुल 18 विषय)।
02	विज्ञान (पास एवं प्रतिष्ठा)	भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं गणित (कुल 05 विषय)
03	वाणिज्य (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्टेसी, कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इनवॉयरनमेंट एवं बिजनेस फाइनांस., (कुल 04 विषय)

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

₹0/-

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-14 / ए०एफ०-१६ / २०१९

पटना, दिनांक..... / / 2023


प्रतिलिपि:-माननीय शिक्षा मंत्री के आप सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक एवं सचिव, एन०जी०ए० डिग्री कॉलेज, भेलाही, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

₹0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-14 / ए०एफ०-१६ / २०१९ - ७९५

पटना, दिनांक १९.५.२३
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का
निदेश दिया जाता है।


19.5.23
सरकार के संयुक्त सचिव।
